



# पटना विश्वविद्यालय



**बजट अभिभाषण**

**2017-18**

४ मार्च, २०१७

# पटना विश्वविद्यालय, पटना

माननीय कुलपति महोदय तथा अनुषद् के सम्मानित सदस्यगण,

पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार पटना विश्वविद्यालय में वर्ष 2015-16 में हुए वास्तविक आय-व्यय, 2016-17 का पुनरीक्षित आय-व्ययक प्राक्कलन तथा 2017-18 के लिए प्रस्तावित आय-व्ययक प्राक्कलन प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

पहले की तरह ही प्रस्तुत आय-व्ययक दो खण्डों में विभाजित है। खण्ड-I में राजस्व प्राप्ति एवं व्यय (Revenue Receipts & Payment) से सम्बन्धित प्राक्कलन हैं। वस्तुतः यही विश्वविद्यालय का सामान्य कोष है। खण्ड-II में पूँजी एवं विकास परियोजनाओं के आय-व्यय (Capital Receipts & Payment) दिखाये गये हैं।

**खण्ड-I आवर्तक/राजस्व प्राप्ति एवं व्यय (Recurring/Revenue Receipts & Payment):** वर्ष 2017-18 का प्रस्तावित आय-व्ययक प्राक्कलन (Proposed Estimates of Receipts & Payment) को चार उप-शीर्षकों में यथा (1) उच्च शिक्षा विभाग (2) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (3) दूर-शिक्षा निदेशालय तथा (4) स्व-वित्तपोषित/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विभाजित कर प्रस्तुत किया जा रहा है :

**खण्ड-I आवर्तक/राजस्व प्राप्ति एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण**  
**(Summary of the Recurring/Revenue Receipt & Payment)**

क्र.सं.	विवरण	वास्तविक आय-व्यय 2015-16 (करोड़ रु० में)	पुनरीक्षित आय-व्ययक 2016-17 (करोड़ रु० में)	प्रस्तावित आय-व्ययक 2017-18 (करोड़ रु० में)
(अ)	1. शिक्षा विभाग - वेतन, भत्ता, सेवान्तक लाभ, आकस्मिक व्यय सहित	176.69	271.06	337.94
	2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बो.सी.ई. वेतनान्तर एवं सेवान्तक लाभ पर व्यय	3.84	3.18	3.90
	3. दूर शिक्षा निदेशालय - सम्पूर्ण व्यय	2.43	2.69	3.20
	4. व्यावसायिक पाठ्यक्रम- सम्पूर्ण व्यय	9.67	8.92	8.28
	योग कुल - व्यय	192.63	285.85	353.32
(ब)	(-) घटाव कुल आय *(अनुदान रहित)-	30.50	27.93	30.83
(स)	कुल शुद्ध घाटे का बजट (Net Deficit Budget) (अ-ब)	(-) 162.12	(-) 257.92	(-) 322.49

**(क) वास्तविक आय-व्यय (Actuals of Receipt & Payments) 2015-16 :**

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल रु. 176.69 करोड़ वास्तविक व्यय के विरुद्ध उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा कुल रु. 186.59 करोड़ अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया था। इस अनुदान पर खर्च आगे के वित्तीय वर्ष में हुआ है और उपयोगिता प्रमाण-पत्र तदनुसार सरकार को भेजा गया है।

**(ख) पुनरीक्षित आय-व्ययक (Revised Budget Estimates) 2016-17 :**

विश्वविद्यालय ने बिहार सरकार को वित्तीय वर्ष, 2016-17 के लिए अभिषद् द्वारा पारित 297.31 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट में से समस्त

आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त 25.81 करोड़ रुपये घटाने के पश्चात् 271.50 करोड़ रुपये का घाटे का बजट प्रस्तुत किया था।

उपर्युक्त के विरुद्ध वर्ष 2016-17 के पुनरीक्षित बजट में कुल रु० 285.85 करोड़ के प्रस्तावित व्यय से विश्वविद्यालय के समस्त आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त रु० 27.93 करोड़ की आय घटाने के पश्चात् रु० 257.92 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।

उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के उपर्युक्त पुनरीक्षित प्रस्तावित बजट पर मार्च 2016 से नवम्बर 2016 तक वेतनादि/पेंशनादि मदों में कुल रु० 119.35 करोड़ का अनुदान विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुका है।

उपर्युक्त अनुदानों में से वित्तीय वर्ष 2015-16 तक के वेतनादि/पेंशनादि एवं सेवान्तक लाभ के मदों में सरकार से प्राप्त अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को भेजा जा चुका है।

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वर्ष 1996 एवं वर्ष 2006 से प्रभावी वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतनान्तर एवं सेवांतक लाभ के मदों में ससमय पर्याप्त अनुदान विमुक्त नहीं किये जाने के कारण कुछ लोगों को उन भुगतानों के नहीं दिए जा सकने की स्थिति में विश्वविद्यालय को अनावश्यक न्यायिक मामलों का सामना करना पड़ता है एवं व्ययों का भार वहन करना पड़ रहा है।

( ग ) पूर्ववर्ती बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना ( विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार ):

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा तत्कालीन बी.सी.ई. के सेवा निवृत्त कर्मियों के वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए माँगी कुल राशि रु० 3.18 करोड़ विमुक्ति कर दिया गया है। तदनुसार इस राशि के उपयोग के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में तत्कालीन बी०सी०ई० के सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन के भुगतान हेतु कुल रु० 3.90 करोड़ घाटे का बजट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार के समक्ष प्रस्तावित है।

### **(घ) सृजित पद एवं कार्यरत बल (Sanctioned posts and Employees in position) :**

शिक्षकों के स्वीकृत एवं सत्यापित कुल 888 पदों के विरुद्ध वर्ष 2016 में कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या बहुत कम हो गई है। यह अक्टूबर 2016 में मात्र 297 थी एवं 35 तदर्थ शिक्षकों की भी सहायता ली जा रही है। रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण पठन-पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह पदाधिकारियों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुल स्वीकृत 1436 पदों के विरुद्ध मात्र 742 शिक्षकेत्तर कर्मी ही कार्यरत हैं।

पठन-पाठन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रस्तुत बजट में वर्ग के आधार पर योग्य शिक्षकों द्वारा कक्षाओं के संचालन के लिए रुपये 16 लाख व्यय का प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार शिक्षकेत्तर कर्मियों के रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा पर नियुक्ति Outsourcing द्वारा करने के लिए प्रस्तुत बजट में 18.00 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है। यह राशि मुख्यालय, केन्द्रीय पुस्तकालय, स्नातकोत्तर विभागों एवं कॉलेजों के लिए होगी।

उल्लेखनीय है कि संविदा पर Outsourcing के आधार पर शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में शिक्षा विभाग द्वारा 3.50 करोड़ रुपये की राशि विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ था। इसके आधार पर खर्च वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिसम्बर 2016 तक किया गया। इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी सरकार को भेज दिया गया है। सरकार से अविलम्ब और राशि के लिए अनुरोध किया गया है जिससे काम चलाया जा सके।

### ( ड. ) परिनियत अनुदान ( Statutory Grant ) :

पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 47(i) में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष परिनियत अनुदान बिहार सरकार के समेकित निधि से देगी। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक पाँच वर्ष पर उक्त राशि का समयानुकूल संशोधन कुलपति से विचार विमर्श के उपरांत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के विकास के लिए भी समय-समय पर अतिरिक्त राशि बिहार सरकार द्वारा अनुदान के रूप में विमुक्त किया जाना है।

इस पृष्ठ भूमि में ज्ञातव्य है कि वार्षिक परिनियत अनुदान ₹ 1.61 करोड़ 2005-06 से अभी तक अदेय है। वांछित बढ़ोत्तरी तो नहीं ही की गयी और न ही विकास कार्य के लिए भी कोई सहयोग राशि राज्य सरकार द्वारा दी गई। अगर केवल परिनियत अनुदान पर विचार करें तो ₹ 1.61 करोड़ की दर से पिछले बारह वर्षों में कुल 19.32 करोड़ रुपये राशि होती है जो अप्राप्त है। यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त राशि नहीं उपलब्ध कराये जाने के कारण विश्वविद्यालय को आर्थिक संकट

का सामना करना पड़ रहा है और विकास कार्य अवरूद्ध है। इसी अनुदान से प्रयोगशालाओं, पुस्तकालाओं आदि के आवर्तक व्यय होते थे।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के बकाये विद्युत विपत्रों के भुगतान के मद में राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्युत बोर्ड को दिनांक 11.01.2013 को 55.00 करोड़ रुपये का बैंक ड्राफ्ट हस्तगत कराया गया था। फिर भी विश्वविद्यालय पर विद्युत-बकाये के रूप में लगभग 18.80 करोड़ एवं नगर निगम कर इत्यादि पर 1.60 करोड़ रुपये बाकी है, जिसकी भरपाई राज्य सरकार के सहयोग के बिना कठिन है।

### **(च) प्रस्तावित आय-व्ययक (Proposed Estimates of Receipt & Payment), 2017-18:**

यहाँ यह उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक प्राक्कलन में उच्च शिक्षा विभाग पर रु० 337.94 करोड़, दूर-शिक्षा निदेशालय पर रु० 3.20 करोड़, स्ववित्तपोषित / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर रु० 8.28 करोड़ तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अधीन तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग पर रु० 3.90 करोड़ अर्थात् कुल रु० 353.32 करोड़ के व्यय राज्य सरकार से अनुमोदन हेतु प्रस्तावित हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के उपरोक्त प्रस्तावित व्यय के विरुद्ध विश्वविद्यालय के सभी आन्तरिक स्रोतों से अनुमानित आय रूपये 30.83 करोड़ घटाने के पश्चात् कुल रूपये 322.49 करोड़ मात्र घाटे का बजट (Deficit Budget) सदन के पटल पर माननीय अनुषद् सदस्यों की अनुशंसा के लिये प्रस्तुत हैं।

तदोपरान्त, उपर्युक्त प्रस्तावित कुल घाटे की रकम में से उच्च शिक्षा पर रूपये 322.69 करोड़ के घाटे का बजट राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के समक्ष तथा रूपये 3.90 करोड़ घाटे का बजट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के समक्ष मदवार अनुमोदन एवं अनुदान विमुक्ति हेतु भेजे जा सकेंगे।

**प्रस्तावित 2017-18 के बजट की कतिपय मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:-**

(1) वर्ष 2017-18 के प्रस्तावित बजट में बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, के पत्रांक 15/बी०-1-11-2013 उ० शि०-1746 दिनांक 07.12.2016 एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक-15/बी०एस० जी-133/2016-995 दिनांक 06.10.2016 में दिये गये निदेशों को अनुपालन किया गया है। ऐसा निदेश था कि वर्ष 2016-17 के आधार पर वर्ष 2017-18 के वेतनादि, पेंशनादि पर जो कुल राशि आती है उस पर समेकित रूप से पहले 25% वृद्धि की जाय, तदोपरान्त उस राशि पर 132+25% महँगाई भत्ता की गणना की जानी है।

इसी निदेश के अनुसार मूल वेतन एवं उसपर महँगाई भत्ता तथा मूल पेंशन और उसपर महँगाई राहत की गणना कर बजट में प्रावधान किया गया है। मकान भत्ता पर निदेशानुसार 50% बढ़ोत्तरी कर बजट में प्रावधान किया गया है। जुलाई 2017 में वेतन में 3% की दर से वेतन वृद्धि की बढ़ोत्तरी की गई है।

(2) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये प्रस्तावित बजट के भीतर **Schedule - D** के अन्तर्गत शिक्षकों एवं शिक्षकैतर कर्मियों को वर्ष क्रमशः



1986, 1996 तथा 2006 से प्रभावी चतुर्थ, पंचम् एवं षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण में वेतनान्तर राशि, महँगाई भत्ता अंतर राशि, विज्ञापन बकाया विद्युत विपत्र, नगर निगम कर आदि बकायों के लिए 35.49 करोड़ रूपये व्यय का प्रावधान किया गया है।

**(3)** इसी प्रकार **Schedule - A** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पेंशनादि, उपार्जित अवकाश नकदीकरण, नई पेंशन योजना (NPS) के अन्तर्गत नियोक्ता का अंशदान, कला एवं शिल्प महाविद्यालय के शिक्षकों का वेतन बकाया, चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के ग्रेड पे की बकाया राशि ए०सी०पी०/ एम० सी०पी० वेतनांतर तथा अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकायों के भुगतान तथा बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के ज्ञाप सं० 15/एम-1-197/2014-1457 दिनांक 24.07.2015 के द्वारा सभी छात्रों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों से नामांकन के समय शुल्क नहीं लिये जाने के कारण क्षति होने वाले राशि की भरपाई के लिए भी प्रस्तावित बजट में कुल रूपये 144.39 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

**(4)** पुनः वित्तीय वर्ष 2016-17 के **Schedule - C** के अन्तर्गत जनवरी 1996 से फरवरी 2015 के बीच सेवानिवृत्त हुए शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के उपार्जित अवकाश- नकदीकरण की अंतर राशि तथा बी.सी.ई. के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशन के लिए कुल 6.45 करोड़ रूपये व्यय का प्रावधान किया गया है।

(5) इस वर्ष पटना विश्वविद्यालय अपना गौरवपूर्ण सौ वर्ष पूरा कर रहा है। इस शुभअवसर पर शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जाएगा एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त नैक मूल्यांकन के लिए आन्तरिक संरचना के सम्बर्धन एवं अपने आन्तरिक रख-रखाव, सौन्दर्याकरण पर रुपये 8.80 करोड़ का, इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है।

(6) ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के पत्रांक एफ0/08-01/201 दिनांक 28.01.2004 के आलोक में, बिहार सरकार के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर, पटना विश्वविद्यालय के अन्तर्गत बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय को एन. आइ. टी. पटना का दर्जा प्रदान किया गया। परिणामस्वरूप, दिनांक 29.01.2004 के पश्चात् तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग (NIT) के कर्मियों के वेतनादि / पेंशनादि सहित अन्य सम्पूर्ण व्ययभार भारत सरकार वहन करती है। किन्तु तत्कालीन बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय के उत्क्रमण की तिथि दिनांक 29.01.2004 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवान्तक लाभ एवं वेतनान्तर का दायित्व बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पर है। इन लोगों के सेवांतक लाभ एवं वेतनान्तर के मद में वित्तीय वर्ष, 2016-17 के पुनरीक्षित बजट में 3.18 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रस्तावित बजट में 3.90 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है।

(7) विश्वविद्यालय मुख्यालय, कॉलेजों, छात्रावासों, विभागों, आवासों आदि की विशेष मरम्मतों के लिए प्रस्तावित आय-व्ययक

2017-18 के आकस्मिक व्यय मद में कुल 2.59 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है ।

(8) प्रस्तुत बजट में मुख्यालय, महाविद्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों तथा स्व-वित्तपोषित संस्थानों की स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत साफ-सफाई एवं उनके सौन्दर्यीकरण के लिए भी रु० 2 लाख के राशि के व्यय का प्रावधान किया गया है ।

(9) इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित बजट में आकस्मिक व्यय के मद में पुस्तकालय व्यय, प्रयोगशाला व्यय, छात्रों के क्रियाकलापों आदि का भी विशेष ध्यान रखा गया है ।

(10) राज्य सरकार ने विभागीय पत्रांक 2085 दिनांक 09.12.1999 के द्वारा पटना विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 1998-99 के बजट अनुदान स्वीकृति के क्रम में यह व्यवस्था दी है कि आगे से विश्वविद्यालय अपने आन्तरिक स्रोतों की आय से ही अपने सभी प्रकार के आकस्मिक व्ययों (Contingent Expenses/Contingencies) की प्रति-पूर्ति करेगी।

उपरोक्त दिशानिदेश के आलोक में स्नातकोत्तर विभागों, महाविद्यालयों, संस्थानों एवं स्व-वित्तपोषित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के आन्तरिक स्रोतों के प्राप्त आय से उनके आकस्मिक व्ययों के लिए प्रस्तावित बजट 2017-18 में व्यय का प्रावधान किया गया है ।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित बजट 2017-18 के **Schedule-B** के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के आकस्मिक व्ययों के लिए

कुल 38.09 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय का प्रावधान किया गया है। इसकी प्रतिपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय को विभिन्न आंतरिक स्रोतों से कुल 15.25 करोड़ रुपये आय प्राप्ति का अनुमान है।

(11) स्नातकोत्तर विभागों, कॉलेजों, संस्थानों एवं विश्वविद्यालय मुख्यालय में अनेक स्ववित्तपोषित/व्यावसायिक पाठ्यक्रम (Vocational/Self Financed Courses) चलाए जा रहे हैं जिनपर वित्तीय वर्ष 2015-16 में वास्तविक व्यय 9.67 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2016-17 पुनरीक्षित में व्यय पर रुपये 8.92 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में रुपये 8.28 करोड़ व्यय के प्रस्ताव के विरुद्ध वर्ष 2015-16 में वास्तविक आय रुपये 10.62 करोड़, वित्तीय वर्ष 2016-17 पुनरीक्षित में रुपये 11.09 करोड़ आय तथा वर्ष 2017-18 के प्रस्तावित बजट में रुपये 11.97 करोड़ आय प्राप्त होने की संभावना है। इसे प्रस्तुत बजट के अन्दर अलग से दर्शाया गया है।

इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन-व्यय के पश्चात् शेष राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के आकस्मिक व्ययों, विकास कार्यों एवं लम्बित व्ययों आदि पर किया जाता है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आए दिन परम्परागत पाठ्यक्रमों के प्रति छात्रों की रुझान में कमी आई है। माननीय सदस्यों को इस समस्या के समाधान पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

**खण्ड- II अनावर्तक / पूंजी एवं विकास मद ( Non-recurring / Capital and Development ) :**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से समय-समय पर पंचवर्षीय योजनाओं तथा विशेष अनुदान के साथ-साथ केन्द्र तथा राज्य सरकार से

विकास सम्बन्धी प्राप्त अनुदानों के आय-व्यय का उल्लेख प्रस्तुत बजट के खण्ड- II अनावर्तक / पूंजी एवं विकास मद (Non-recurring/Capital and Development ) शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । इसके अतिरिक्त यू.जी.सी. एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त विविध शोध-परियोजनाओं एवं अन्य विकास कार्यों के लिए प्राप्त अनुदान के आय-व्यय का व्यौरा भी इसी खण्ड में दर्शाया गया है ।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2016-17 में नये विकास कार्यों, नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर विभागों की स्थापना का प्रस्ताव एवं राज्य सरकार के विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव भी इसी खण्ड में प्रस्तावित है जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है:-

(A) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से XII पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राशि 12.53 करोड़ रुपये के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2014-15 तक विश्वविद्यालय को General Development Assistance Scheme के तहत कुल रुपये 5.01 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था । प्राप्त अनुदान से वित्तीय वर्ष 2015-16 तक पुस्तक एवं पत्रिका मद में रुपये 1.23 करोड़ एवं प्रयोगशाला मद में रुपये 1.39 करोड़ अर्थात् कुल रुपये 2.62 करोड़ व्यय किया जा चुका है तथा शेष रकम वित्तीय वर्ष 2016-17 में खर्च कर लेने का प्रस्ताव है।

इस अनुदान के व्यय करने की प्राथमिकता का पुनः निर्धारण सम्बन्धी विस्तृत विवरणी (A-1) में अलग से दी गई है ।

(B) XII पंचवर्षीय योजना Merged Scheme के तहत स्वीकृत राशि 4.57 करोड़ रुपये के विरुद्ध प्राप्त रुपये 1.50 करोड़ में से रुपये

68.95 लाख राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया जा चुका है तथा शेष राशि रुपये वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

(C) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं केन्द्र सरकार से विश्वविद्यालय के विविध शोध-परियोजनाओं (Miscellaneous Research Projects/Schemes) के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 में 27.70 लाख रुपये की राशि आवंटित हुई थी जिसमें से कुल 8.00 लाख रुपये बजट प्रारूप अनुमोदित होने समय तक उपयोग किये गये थे। शेष राशि इसी वित्तीय वर्ष में उपयोग कर लिये जाएंगे।

(D) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से Infrastructure Development हेतु अतिरिक्त विकास अनुदान (Additional Development Grant) मदों में वित्तीय वर्ष 2011-12 में स्वीकृत 1.00 करोड़ रुपये के विरुद्ध 90.00 लाख रुपये प्राप्त हुए थे, जिसमें से 2015-16 में 8.22 लाख रुपये खर्च के लिए था जो खर्च नहीं किया जा सका। अतः इसे वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय करने का प्रस्ताव है।

सम्बन्धित विभागाध्यक्षों, शिक्षकों एवं अधिकारियों से आग्रह है कि प्राप्त अनुदान के उपयोग का विश्वविद्यालय के माध्यम से अंकेक्षण कराकर यू०जी०सी०/केन्द्र सरकार / राज्य सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

(E) शिक्षा विभाग के पत्रांक 1906 दिनांक 23.10.2013 के आलोक में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अन्तर्गत संस्थागत

विकास के लिए पटना विश्वविद्यालय मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभागों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए कुल 1516.845 करोड़ अर्थात् 303.369 करोड़ वार्षिक योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया।

तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए संविदा पर Outsourcing द्वारा नियुक्त करने का प्रस्ताव है। इसके लिए पाँच वर्षों के लिए कुल 51.10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। साथ ही पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं आदि हेतु स्वीकृत तकनीकी पदों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता तथा मानदण्डों के अनुरूप भरने की प्रक्रिया राज्य सरकार के आर्थिक अनुमोदन के पश्चात् प्रयास आरंभ की जायेगी ताकि प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों की स्थिति सुदृढ़ हो सके। इसका निर्णय अभिषद् ने लिया है।

(F) वित्त समिति की दिनांक 19.01.2016 एवं अभिषद् की दिनांक 25.02.2016 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया :-

स्नातकोत्तर विभागों के लिए बहुमंजिला इमारत बनाने का लक्ष्य है। यह बहुमंजिला इमारत कमसे कम दस मंजिल या उससे अधिक का होगा, जिसमें तीन खण्ड होंगे। इसमें साइंस ब्लॉक मानविकी ब्लॉक एवं समाज विज्ञान ब्लॉक स्थापित किये जायेंगे। यह इमारत अत्याधुनिक सुविधा के साथ, विशेषज्ञों, वास्तुविदों और विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुपालन करते हुए बनाई जायेगी। इसपर लगभग 200 करोड़ रुपये अनुमानित व्यय

होने का प्रस्ताव है। इसका विस्तारित प्रारूप विश्वविद्यालय अभियंता शीघ्र तैयार करें, ऐसा निर्देश दिया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि राशि की प्राप्ति हेतु प्रस्ताव को यू०जी०सी० एवं राज्य सरकार या अनुदान एजेन्सियों को भेजा जाय। परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है।

(G) स्नातकोत्तर इतिहास विभाग में M.A. in Women's Studies का Self Financing Vocational Course संचालित होता था। अब इसके लिए एक नये विभाग Department of Women's Studies के सृजन का प्रस्ताव विद्वत परिषद् की बैठक दिनांक 23.02.2013, अभिषद् की बैठक दिनांक 28.05.2013 तथा अनुषद् की बैठक दिनांक 29.01.2015 में पारित होने के उपरान्त कुलाधिपति के पास मंजूरी हेतु पटना विश्वविद्यालय पत्र सं. 28/ V.C (Res.) दिनांक 12.04.2016 के द्वारा भेजा गया, जिस पर आदिनांक कुलाधिपति की मंजूरी अप्राप्त है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने पत्र सं. D.O. No F.7-/2012 (WS) Date 06-01-2015 के द्वारा 12वीं योजना में Women's Studies Centre की स्थापना हेतु वर्ष 2016-17 के लिए रु. 31 लाख (आवर्ती) एवं 1 लाख (गैर-आवर्ती) की राशि स्वीकृत की है। यह राशि आदिनांक विमुक्त नहीं हो पायी है।

(H) प्रधान महालेखाकार बिहार, पटना के अंकेक्षकदल द्वारा पटना विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2011-12 तक का अंकेक्षण सम्पादित किया जा चुका है तथा इस अवधि का अंकेक्षण (निरीक्षण) प्रतिवेदन भी विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुका है। इसका अनुपालन प्रतिवेदन भी प्रधान



महालेखाकार बिहार को भेज दिया गया है। इस सम्बंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन भी प्राप्त हो चुका है जिसका अनुपालन प्रतिवेदन भी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को भेज दिया गया है।

(I) आंतरिक अंकेक्षक मेसर्स वरूण एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट, पटना द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखों का आन्तरिक अंकेक्षण कराया जा रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ वित्तीय वर्ष 2015-16 का वार्षिक आय-व्यय, वर्ष 2016-17 का पुनरीक्षित आय-व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 का प्रस्तावित आय-व्ययक प्राक्कलन सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

जय हिन्द, जय भारत।

पटना।

दिनांक : 04-03-2017



A View of Wheeler Senate House, Patna University, Patna

## **PATNA UNIVERSITY**

Ashok Rajpath, Patna - 800 005

Website : [www.patnauniversity.ac.in](http://www.patnauniversity.ac.in)